रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012023-242173
CG-DL-E-23012023-242173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944
No. 364]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2023

का.आ. 378(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 929, तारीख 07 अक्तूबर, 2022, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 08 अक्तूबर, 2022 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर-768020, ओडिशा (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए इच्छुक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि 51.590 एकड़ (लगभग) अथवा 20.878 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली उक्त भूमि और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 08 अक्तूबर, 2022 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात: -

(1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों, और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;

(2) संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन और ऐसे किसी अधिकरण और अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जैसे अपील, इत्यादि की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;

(4) सरकारी कंपनी के पास उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जब भी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/07/2021-एलएएण्डआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2023

S.O.378(E).—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 929, dated the 7th October, 2022, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th October, 2022, issued under sub- section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) are vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Mahanadi Coalfields Limited, Post Office Jagruti Vihar, Burla, District Sambalpur-768020, Odisha (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 51.590 acres (approximately) or 20.878 hectares (approximately) with all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 8th October, 2022, instead of

continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) The Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, and the like as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;

(3) The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

(4) The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested, to any other person without the prior approval of the Central Government; and

(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F.No. 43015/07/2021-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA